न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

प्रतिवादी/अभियुक्त **बनाम**

1. कन्हैयालाल रावल पुत्र भगवानाराम रावल, जाति- रावल, निवासी- जसवन्तपुरा रोड, सिलदर, तहसील व जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्मः- वेदिका जनरल स्टोर, जसवन्तपुरा रोड, सिलदर, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
2. लखपतराज पुत्र श्री चुन्नीलाल, निवासी- म.क्र. 105, सुआरों का वास, सुमेरपुर, जिला- पाली (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)
फर्मः- गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, पुरानी धान मण्डी, मैन मार्केट, राजस्थान बैंक के सामने, सुमेरपुर, जिला- पाली
3- Mr. Rajani Kumar KVVS (Nominee Gundrampally Plant)
फर्मः-DODLA DAIRY LIMITED, Sy No.330-333, 337, Opp. Hanuman Temple, Gundrampally Village, Chityala Mandal, Nalgonda Dist., Telangana-508114
4- DODLA DAIRY LIMITED, Sy No.330-333, 337, Opp. Hanuman Temple, Gundrampally Village, Chityala Mandal, Nalgonda Dist., Telangana-508114

प्रकरण संख्याः 52/2021

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री एस.के.शाह, प्रतिवादीगण की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 29 अप्रेल, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 08.11.2020 को 4.00 पी.एम. पर फर्म वेदिका जनरल स्टोर, जसवन्तपुरारोड, सिलदर, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से कन्हैयालाल रावल पुत्र भगवानाराम रावल, जाति- रावल, निवासी- जसवन्तपुरा रोड, सिलदर, तहसील व जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु [illegible] खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के 20 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 ग्राम) [illegible] घी (डोडला ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 ग्राम) जांच हेतु [illegible] ब्राण्ड) की कीमत राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

रुपये 920/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1260, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों खरीद शुदा नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1260 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाब्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता कन्हैयालाल रावल व गवाहान ने पढ़ सुनकर समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारो भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्टोरर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 08.11.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता कन्हैयालाल रावल से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) का नमूना S-1260 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत [illegible] गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने

—पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला अभियोजक
सिरोही-307001.

मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.शाह उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर कोई कार्यवाही सम्पादित नही की गई है तथा मौके पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर नही करवाये गये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में बैठकर सारे दस्तावेज तैयार कर यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से साबित नहीं कराया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें घी में मिलावट का कोई कथन नही है एवं घी (डोडला ब्राण्ड) सभी मानकों के अनुरूप पाया गया है। घी के ब्राण्ड का नाम डोडला अंकित है तथा लेबल पर निर्माता कम्पनी का पूर्ण पता अंकित किया हुआ है, इससे स्पष्ट है कि घी (डोडला ब्राण्ड) मिसब्राण्ड नही है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 08.11.2020 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म वेदिका जनरल स्टोर, जसवन्तपुरा रोड, सिलदर, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म वेदिका जनरल स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से कन्हैयालाल रावल पुत्र भगवानाराम जी रावल, जाति- रावल, निवासी- जसवन्तपुरा रोड, सिलदर, तहसील व जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म वेदिका जनरल स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता कन्हैयालाल रावल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान [illegible] में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के 20 पैक [illegible] 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला [illegible]
सिरोही–307001.

घी (डोडला ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 ग्राम) नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि 920/- (अक्षरे रुपये नौ सौ बीस मात्र) विक्रेता कन्हैयालाल रावल को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता कन्हैयालाल रावल, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-1260, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता कन्हैयालाल रावल व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1260 को नियमानुसार गोंद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता कन्हैयालाल रावल, उक्त गवाहों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म बैदिका जनरल स्टोर से खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कन्हैयालाल रावल से खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर [illegible] विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के [illegible] तीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफे [illegible] अभिहित अधिकारी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested

...पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 08.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1260 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक L.S./865/Act/2020/864 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म वेदिका जनरल स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता कन्हैयालाल रावल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) का नमूना S-1260 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर निर्माता फर्म का पूर्ण पता अंकित नही था, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(6) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/77-80 दिनांक 05.1.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी कन्हैयालाल रावल व निर्माता फर्म डोडला डेयरी लिमिटेड को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारूप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कन्हैयालाल की फर्म वैदिका जनरल स्टोर, सिलदर द्वारा खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड जारों को फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, सुमेरपुर से जरिये बिल/इनवोईस नम्बर जीएसटी/20-21/3273 दिनांक 01.7.2020 से क्रय किये थे जो प्रतिवादी संख्या-2 (लखपतराव) की फर्म है। प्रतिवादी लखपतराव की फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड जारों को फर्म श्रीपाल मार्केटिंग, मण्डोर मंडी, जोधपुर से जरिये बिल नम्बर बी/000268 दिनांक 19.10.2020 के द्वारा क्रय किये एवं फर्म श्रीपाल मार्केटिंग, मण्डोर मण्डी, जोधपुर द्वारा खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैकड जारों को फर्म डोडला डेयरी लिमिटेड, Devarapalem village, Nellore (AP) से इनवोईस नम्बर 9304011711 दिनांक 27.10.2020 के द्वारा क्रय किये गये थे, जो खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना [illegible]/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए [illegible] एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप [illegible] (डोडला ब्राण्ड) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

विक्रय हेतु प्रतिवादी कन्हैयालाल पुत्र श्री भगवानाराम रावल, जाति- रावल, निवासी- बसवन्तपुरा रोड, सिलदर, तहसील व जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म वेदिका जनरल स्टोर, बसवन्तपुरा रोड, सिलदर, तहसील व जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी लखपतराज पुत्र श्री चुन्नीलाल, निवासी-म.क्र. 105, सुथारों का वास, सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म सांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, पुरानी धान मण्डी, मैन मार्केट, बैंक ऑफ राजस्थान के सामने, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (डोडला ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म DODLA DAIRY LIMITED, Sy No. 330-333, 337, Opp. Hanuman Temple, Gundrampally Village, Chityala Mandal, Nalgonda, Dist., Telangana-508114 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:47 IST
Reason: SelfAttested